

डिक्री मुकदमा इबताई

(रूल्स 18-21)

न्यायालय सहायक कलक्टर, भदोसर जिला चित्तौडगढ (राज.)

अनवान

दिनांक : 08.03.2022

रण संख्या - 60/2022

अनवान

1. रतगलाल पिता गोकल जाति गाडरी उम्र वयस्क निवासी सुखवाडा तहसील भदोसर
2. भैरू लाल पिता गोकल जाति गाडरी उम्र वयस्क निवासी सुखवाडा तहसील भदोसर जिला चित्तौडगढ।

..... वादीगण

॥ बनाम ॥

1. सरकार जरिये तहसीलदार भदोसर जिला चित्तौडगढ।
2. सरकार जरिये जिला कलक्टर साहब जिला चित्तौडगढ (राज.)

..... प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,188 राज. काश्तकारी अधिनियम 1955

बाबत कृषि आराजीयात की घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

प्रकरण संख्या 60/2022

वादीगण की और से वकील श्री प्रवीण जोशी की उपस्थिति में इस वाद को आज दिनांक 08.03.2022 न्यायालय के समक्ष वाद वादीगण डिक्री किया जाता है कृषि अराजियात मौजा ग्राम इब्राहिमागंज प0 ह0 सुखवाडा के आराजी नम्बर 127 रकबा 0.35 है0 एवं आराजी न0 129 रकबा 0.23 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.58 है0 भूमि पर वादीगण को मौके पर कब्जे अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाने का आदेश दिया जाता है उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया जावे व खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह आज दिनांक 08.03.2022 को डिक्री पर्चा मुर्तिब किया गया।



(अजू शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भदोसर,
जिला-चित्तौडगढ